

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)


कमांक 323 / दो-11-01 / 2004(भाग-2),

आ दे श

रीवा, दिनांक 23 अप्रैल, 2024

नजारत अनुभाग रीवा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए श्री अखिलेश यादव भृत्य (चौकीदार) नजारत अनुभाग हनुमना को स्थानांतरित करते हुए आगामी आदेश तक नजारत अनुभाग रीवा में **अटैच** किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा, म0प्र0

पृ. कमांक.....2062...../  
दो-11-01 / 2004(भाग-2),

रीवा, दिनांक 23 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग रीवा।
2. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग हनुमना, जिला रीवा।
3. कोर्ट मैनेजर, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा।
4. स्टेनो टू, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संबंधित कर्मचारी .....की ओर  
सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति जिला न्यायालय रीवा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. डी0एस0ए0/एस0ए0 कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति **एच. आर.एम.एस./ई.आर.पी.** साफ्टवेयर में प्रविष्टि किये जाने हेतु प्रेषित।
8. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा, म0प्र0